



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

No. 134]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

सा.का.नि. 213(अ).— केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर नियम, 2011 है ।
- (2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं,-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;
- (ख) “बोर्ड” इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) “बायलर परिचर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन वर्ग के किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है ;
- (घ) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ङ) “मुख्य निरीक्षक” का वही अर्थ होगा जो बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन है ;
- (च) “प्ररूप” से इन नियमों से उपबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (छ) “सरकार” से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है ;
- (ज) “सचिव” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;
- (झ) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ज) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों का कोई संदर्भ के अंतर्गत किसी इकानामाईजर या इकानामाईजरों के संदर्भ में भी लिया गया समझा जाएगा।

अध्याय 2

साधारण

3. बायलर परिचर प्रमाणपत्र का धारक व्यक्ति बायलर का प्रभारी होगा,-

एकल बायलर या दो या अधिक बायलरों जो एक श्रृंखला में संबद्ध हैं या अनेक पृथक व्यक्ति बायलरों का स्वामी नियम 23 में यथाउल्लिखित किसी बायलर परिचर के साथ-साथ ऐसी संख्या में बायलर परिचरों को रखेगा जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर इन नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी बायलर परिचर को किसी बायलर के प्रभार तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात कोई व्यक्ति को जो इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति को परिचर और किसी आकार के किसी बायलर या बायलरों के प्रभारी होने से विवर्जित नहीं करेगी और ऐसा प्रमाणपत्र इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इन नियमों के अधीन दिया गया समझा जाएगा।

4. सक्षम व्यक्ति का प्रमाणपत्र धारण करना और अर्हता का विस्तार,-

कोई व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र नहीं रखता है किसी बायलर का प्रभार धारण करने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं समझा जाएगा।

5. प्रमाणपत्र पेश करना,-

इन नियमों के अधीन सक्षमता का प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचर अपने प्रभार या परिचर्या में किसी बायलर की अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त अवधि के ऐसे प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए बाध्यकर होगा जब धारा 15 के अधीन किसी प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए मांग करने के लिए ऐसा व्यक्ति सशक्त है, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश मांग सकेगा।

6. प्रमाणपत्र की विशिष्टियों को मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को स्वामी द्वारा पेश करना,-

(1) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को प्रभारी के रूप में नियुक्त करता है ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को ऐसे व्यक्ति के पूर्ण विशिष्टियां जिसके अंतर्गत उसके प्रमाणपत्र का क्रम संख्यांक, तारीख और जारी करने का स्थान भी है, देगा।

(2) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को ऐसे बायलर को प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त करता है ऐसे व्यक्ति के अपने नियोजन को छोड़ने की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इस तथ्य की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को सात दिनों के भीतर देगा।

7. उपस्थिति, निर्मुक्ति और कार्यवाही की परिधि की दैनिक अवधि की सीमा,-

(1) किसी बायलर का प्रभारी व्यक्ति सीधे या तत्काल प्रभार में समझा जाएगा जब वह ऐसे बायलर से दस मीटर की दूरी पर है।

(2) किसी बायलर या बायलरों का प्रभारी व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र की अपेक्षा है किसी एक दिन में दो अवधियों से अधिक के लिए प्रभार से मुक्त नहीं होगा जिसे किसी परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति द्वारा दो घंटे से अनधिक अवधि नहीं होगी।

(3) किसी बायलर परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर की लिखित सहमति से भी किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में व्यवसायिकता का प्रमाणपत्र धारक कोई व्यक्ति किसी अवधि के लिए जो लगातार दस दिनों तक विस्तारित हो सकेगी जिसे विशेष परिस्थितियों में मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर किसी भी समय तीस दिनों की अनधिक समयावधि तक विस्तारित कर सकेगा।

8. जब बायलर उपयोग में समझा जाएगा,-

- (1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बायलर उपयोग में समझा जाएगा जब बायलर में पानी को गर्म करने के प्रयोजन के लिए या बैंक फायर दशा के अधीन भट्टी आग बक्से में या फायर स्थान में आग है ।
- (2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को उपयोग में समझा जाएगा जब वहां चिमनी गैसों का प्रवाह हो रहा है या इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर में ऊष्मा माध्यम से भिन्न और पानी और उष्णित गैसों या माध्यम के मध्य ऊष्मा स्थानांतरण का स्थान लेता है ।

अध्याय 3**परीक्षकों का बोर्ड****9. परीक्षकों के बोर्ड का गठन,-**

- (1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए परीक्षकों के बोर्ड का गठन होगा जिसमें मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा नामनिर्दिष्ट निरीक्षक या उनसे समतुल्य से मिलकर बनेगा और तीन अन्य सदस्यों से अन्यून जो प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर व्यवहार के शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान रखते हों को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होंगे ।
- (2) मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर पदेन अध्यक्ष होंगे और मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या उनके समतुल्य बोर्ड के पदेन सचिव होंगे ।

10. सदस्यों की पदावधि,-

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी यदि कोई सदस्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को स्थायी रूप से छोड़ देता है या बोर्ड की अनुज्ञा के बिना तीन लगातार बैठकों से अपने को अनुपस्थित रखता है तो ये समझा जाएगा कि उसने बोर्ड की अपने स्थान को रिक्त कर दिया है और अन्य व्यक्ति उसकी पदावधि की शेष भाग के लिए उसके स्थान पर नियुक्त होगा ।

11. बोर्ड के कृत्य,-

परीक्षकों का बोर्ड -

(i) किसी बायलर परिचर वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षण संचालित करेगा ;

(ii) किसी परीक्षा के लिए किसी व्यक्ति को पेपर सेटर या परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी ;

(iii) किसी बायलर परिचर को वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना ; और

(iv) बायलर परिचर के भाग पर मद्यपता, कर्तव्य की उपेक्षा या उसके भाग पर अवचार के अभिकथन की जांच रिपोर्ट पर विचार करना ।

12. बोर्ड की बैठक,-

बोर्ड की बैठक जब अध्यक्ष की राय में इसके कारबार के संचालन के लिए आवश्यक हो, और ऐसे स्थान तथा ऐसे समय पर हो सकेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए ।

13. बैठक की सूचना और कारबार की सूची,-

- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को दिए गए समय और नियत स्थान की सूचना डाक की तारीख से पंद्रह दिन से अन्यून देनी होगी और ऐसी सूचना के साथ बैठक में विचार के लिए उसके कारबार की सूची संलग्न होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष किसी बैठक को जो उसकी राय में अत्यावश्यक है ऐसे युक्तियुक्त समय में सूचना देगा जिसे वह आवश्यक विचार करता है, किसी विषय पर विचार करने के लिए कोई बैठक बुला सकेगा।

(2) कोई कारबार जो सूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय उस पर बैठक में विचार नहीं होगा।

14. गणपूर्ति,-

अध्यक्ष या सचिव और परीक्षा बोर्ड के दो सदस्य से कोरम होगा।

15. अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा,-

अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को चुनकर बैठक की अध्यक्षता होगी।

16. बोर्ड का सचिव,-

बोर्ड का सचिव सक्षमता प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचरों का रजिस्टर रखेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट या अध्यक्ष द्वारा समय समय पर दिए गए निदेश के अनुसार ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा।

17. आवेदन पर बोर्ड का पृष्ठांकन,-

बोर्ड प्रत्येक आवेदक के मुद्रित आवेदन प्ररूप पर यथास्थिति, बायलर परिचर वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए उसकी परीक्षा के परिणाम पर पृष्ठांकन करेगा। पृष्ठांकित आवेदन सचिव को वापस होगा।

18. बोर्ड की प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति,-

बोर्ड, प्रत्येक अभ्यर्थी को जो उसके सदस्यों के बहुमत की राय में वृद्ध या अंग विकार के माध्यम से शारीरिक रूप से अनुपयुक्त, कमजोर गठन या दोषपूर्ण दृष्टि या बहरापन या किसी अंग की क्षति के कारण, किसी बायलर परिचर की कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होता है से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने का निदेश दे सकेगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी बोर्ड को शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है तो बोर्ड को बायलर परिचर के रूप में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र को जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी।

19. परीक्षकों की फीस,-

परीक्षक बोर्ड का प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष तथा सचिव के सिवाय नियम 9 के अधीन नियुक्त प्रत्येक अन्य परीक्षक इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस प्राप्त करने का हकदार होगा और फीस की दर निम्नलिखित होगी :-

(क) बोर्ड बैठक के लिए गैर पदेन बोर्ड सदस्यों के लिए बैठक की फीस - 500/- रुपए

(ख) वर्ग-1 बायलर परिचर के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए फीस - 20/- रुपए

(ग) वर्ग-2 बायलर परिचर के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए फीस - 10/- रुपए

20. बोर्ड की कार्रवाई,-

बोर्ड की कोई कार्रवाई, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर या बोर्ड में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 4

परीक्षा

21. परीक्षा, -

बोर्ड द्वारा आयोजित किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा ऐसे स्थान और ऐसी तारीख पर होगी जो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समय समय पर सचिव द्वारा अधिसूचित हो सकेगी।

22. परीक्षा का मुल्य होना, -

जब परीक्षा के लिए नियत किसी दिन राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है या जब किसी अकल्पित कारण के लिए नियत दिन पर किसी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है अध्यक्ष, किसी अन्य दिन को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों और परीक्षक बोर्ड की सदस्यों को भी सम्यक् रूप से अधिसूचित करेगा।

अध्याय 5

प्रमाणपत्र

23. प्रमाणपत्रों के वर्ग और प्रमाणपत्र धारकों की सक्षमता, -

(1) इन नियमों में जैसा उपबंधित है सिवाय उसके अधीन प्रदान किए जाने वाले सक्षमता प्रमाणपत्र के दो वर्ग होंगे। प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक जो किसी भी प्रकार के वाष्प पाइपों के साथ किसी एकल बायलर या धारिता या किसी श्रृंखला में दो या अधिक बायलर या बहुत से पृथक् व्यष्टिक बायलरों का, कुल ऊष्मित पृष्ठ जो एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी, का प्रभारी होगा, परंतु ऐसे बायलर उसी परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के भीतर स्थित होंगे और एक ही स्वामी के होंगे तथा वह एक दूसरे वर्ग के बायलर परिचर या ऐसी फायरमैन की ऐसी संख्या द्वारा सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा आवश्यक समझी जाए।

(2) किसी दूसरे वर्ग का प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक किसी भी प्रकार की ऊष्मा पाइप के साथ एकल बायलर, जिसकी कुल ऊष्मित पृष्ठ दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक नहीं होगी, का भारसाधक होगा। दूसरे वर्ग बायलर परिचर तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन से अनधिक संबद्ध बायलर से मिलकर नहीं बनेगा और जिसका कुल ऊष्मित पृष्ठ का औसत दो सौ वर्गमीटर से अनधिक नहीं होगा उसे ऐसी संख्या में फायर मैन की सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझी जाए :

परंतु यह कि—

(i) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी सक्षम प्रथम श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर उपरोक्त (1) पर वर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक का पात्र होगा।

(ii) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी सक्षम द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर उपरोक्त (1) पर वर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक का पात्र होगा।

(iii) इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा सक्षम प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र में यथावर्णित क्षमता के बायलर (बायलरों) का भारसाधक बनने का पात्र होगा।

24. किसी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन,-

किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक कोई व्यक्ति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जहां वह सेवा के लिए आवेदन करता है में विधिमान्यता के लिए प्रमाणपत्र पृष्ठांकन के लिए आवेदन करेगा। ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

25. फीस,-

प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए संदत्त फीस 100/- रुपए (एक सौ रुपए) जो अप्रतिदेय होगी। फीस खजाना चालान या ऐसे अन्य ढंग से जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए संदत्त होगी।

अध्याय 6**परीक्षा के लिए आवेदन****26. आवेदन का प्ररूप,-**

परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में होगा। आवेदक प्ररूप के ऐसे भाग को भरेगा जो किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा और किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या अपने नियोक्ता की उपस्थिति में प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा जो उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करेंगे। इस प्रकार भरे गए आवेदन सचिव को भेजने होंगे और उनके साथ निम्नलिखित होगा -

(क) शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में प्रमाणपत्रों में प्रत्येक की एक सत्यापित प्रति और अभ्यर्थियों के प्रयोगात्मक अनुभव के लिए उनकी प्रतियों के साथ मूल प्रमाणपत्र। शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में सभी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे ;

(ख) अपने नियोजक से अच्छे चरित्र का शंसापत्र के साथ उम्र का प्रमाणपत्र ;

(ग) खजाना चालान या परीक्षा के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के समर्थन में इस निमित्त विनिर्दिष्ट सरकार को ऐसी अन्य रीति में जो आवेदक जिसे वरीयता दे ; और

(घ) नवीनतम पासपोर्ट आकार के (आकार 50एमएमX 65एमएम) फोटो की दो प्रतियां, एक के पीछे आवेदक हस्ताक्षर करेगा जिसे राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी का नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होंगे।

27. अभ्यर्थी का समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना,-

(1) कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं होगा जो अपने अनुभव सक्षमता और अपनी अर्हताप्राप्त सेवा की संपूर्ण अवधि या अर्हताप्राप्त सेवा की अवधि में किसी बिना खाते के खंडता के लिए अच्छे आचरण का समाधानप्रद शंसापत्र का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है। ऐसा शंसापत्र में स्पष्टतः यह अधिकथित होगा कि अभ्यर्थी किस क्षमता में नियुक्त था जैसे प्रशिक्षु परिचर या द्वितीय वर्ग बायलर परिचर आदि और ऐसे नियोजन की अवधि की तारीखें जिसके मध्य ऐसा अभ्यर्थी नियोजित था।

(2) कोई शंसापत्र किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और उस पर मिल, कारखाना या वर्कशॉप के स्वामी या अभिकर्ता या इस निमित्त सरकार द्वारा विहित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

(3) अभ्यर्थी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम किया है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में लगी अवधि में दिए गए प्रधानाचार्य या संस्थान के अधीक्षक से पाठ्यक्रम का या तो प्रमाणपत्र/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करेगा।

(4) वाष्प पोत में सेवा के संबंध में किसी शंसापत्र पर मुख्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो सकेगा और प्रतिहस्ताक्षर पोत के मास्टर द्वारा या किसी शिपिंग मास्टर द्वारा जारी किसी नाविक का निर्वहन प्रमाणपत्र के प्ररूप में हो सकेगा ।

(5) रेल बायलर या किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय के बायलरों में सेवा का शंसापत्र किसी उत्तरदायी प्राधिकारी जिसके अधीन अभ्यर्थी ने सीधे सेवा की है द्वारा हस्ताक्षरित होगा और प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विभाग के प्रमुख द्वारा होगा ।

28. शंकाप्रद शंसापत्र, -

यदि सचिव किसी आवेदन या शंसापत्र में किए गए किसी कथन की सत्यता पर कोई शंका का कारण रखता है वह ऐसी जांच कर सकेगा जो उसके सत्यापन के लिए वह उचित समझे ।

29. मिथ्या शंसापत्र, -

(1) यदि सचिव को जांच पर यह समाधान हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए किसी शंसापत्र में कोई तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं वह अध्यक्ष को अपने निष्कर्ष भेजेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश से विवर्जित कर सकेगा । यदि ऐसी शंसापत्र की सामर्थ पर कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में पहले से ही प्रवेश ले लेता है वह ऐसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा और जो ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर घोषित किया गया है पर उसे दिए गए प्रमाणपत्र को तत्काल वापस लिया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा रद्द होगा :

परंतु इस नियम के अधीन आवेदक को विषय में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी ।

(2) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित होता है आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

30. आवेदन और शंसापत्र की प्रतियों को रखना. -

अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए आवेदन और शंसापत्र की प्रतियां अध्यक्ष के कार्यालय में रखी जाएंगी । मूल शंसापत्र अभ्यर्थी को यथासंभवशीघ्र वापस होंगे ।

अध्याय 7

पात्रता मानदंड

31. द्वितीय वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए उम्र अर्हताएं और अनुभव, -

द्वितीय वर्ग के किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए कोई अभ्यर्थी अट्ठारह वर्ष की उम्र से अन्यून नहीं होगा और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेसन या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न हो ; और

(ख) और उसने किसी वाष्प बायलर पर फायरमैन या प्रचालक या सहायक फायरमैन या सहायक प्रचालन के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो ; या

(ग) किसी फिटर के रूप में जहां बायलर विनिर्मित या परिनिर्मित प्रचालित या मरम्मत होते हैं में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो इसके साथ-साथ वह एक वर्ष से अन्यून सहायक फायरमैन के रूप में सेवा की हो ; या

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र धारक की दशा में, लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष से अन्यून अनिवार्य रूप से सेवा की हो ।

32. प्रथम वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित उम्र, अर्हताएं और अनुभव,-

प्रथम वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की उम्र बीस वर्ष से अन्यून न होगी और वह द्वितीय वर्ग का प्रमाणपत्र धारक हो और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ बायलर परिचर के रूप में किसी बायलर के एकल भारसाधक के रूप में जिसकी रेटेड उम्भित सतह पचास वर्गमीटर से अन्यून नहीं है के भारसाधक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा न की हो ; या

(ख) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से कोई प्रमाणपत्र की उसने तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा किया है जिसमें से एक वर्ष उसने किसी मिल, कारखाने या किसी इंजीनियरी वर्कशाप जहां इंजन और बायलर की मरम्मत या निर्मित किए जाते हैं में प्रशिक्षुता की है और इसके साथ उसने द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ पचास वर्गमीटर उम्भित क्षेत्र से अन्यून किसी बायलर के एकल कार्यकारी व्यवहार के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा की है का प्रमाणपत्र देता है ; या

(ग) पचास वर्गमीटर से अधिक उम्भित सतह रखने वाले किसी बायलर पर प्रथम वर्ग बायलर परिचर के प्रभार के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ फायरमैन या सहायक फायरमैन के रूप में दो वर्ष से अन्यून कार्य किया है ।

अध्याय 8

परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

33. द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण,-

कोई अभ्यर्थी द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अर्हक होने के क्रम में परीक्षकों को समाधानप्रद रूप में अन्य बातों के साथ-साथ -

(क) वह स्पष्ट रूप से -

- (i) वह किसी वाष्प बायलर और इकोनोमाइजर की कार्यकरण और प्रबंध को समझता है ;
- (ii) विभिन्न वाल्वों, टॉटियां, स्थापन और फिटिंग्स का उपयोग और प्रयोजन ;
- (iii) आग प्रारंभ करने और जब वाष्प उठने लगे से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां और प्रक्रिया ;
- (iv) भरक पंप और इंजेक्टर का उपयोग ;
- (v) दाब गेज को पाठन ;
- (vi) आवधिक सफाई और शुद्ध जल प्रदाय तथा मापक या अन्य उम्भित सतह पर अन्य जमाव को रोकने के लिए आवश्यकताएं ;
- (vii) बायलर का आवधिक निरीक्षण के लिए आवश्यकता और वह रीति जिसमें विस्तृत निरीक्षण, हाइड्रोलिक जांच और वाष्प जांच के लिए तैयारी होगी ;
- (viii) बायलर जो वाष्प के अधीन किसी अन्य बायलर से संबद्ध है में किसी व्यक्ति के प्रवेश या अनुज्ञात करने से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां ;
- (ix) धुंए को रोकने के लिए आग का उचित साधन का उपयोग ;
- (x) वाष्प नली में पानी के जमाव का खतरा और निकास के लिए प्रेक्षण की पूर्वावधानियां ;
- (xi) पानी की कमी या भट्टी का उभरना या टूटफूट या नालिकाओं का फट जाना या वाष्प नली में किसी दुर्घटना का होना ;

(xii) पूर्वावधानियां का लेना जब किसी इकोनोमाइजर का कार्य किसी विराम की अवधि के पश्चात् प्रारंभ होता है ; और

(xiii) कमीशन में किसी इकोनोमाइजर को लाने में अंगीकृत किया जाने वाला प्रक्रिया और स्टीम पर जब बायलर है उसे कमीशन आउट करने में भी रखना ।

(ख) वह सक्षम है,-

(i) किसी बायलर में कोयले भरने के साथ-साथ उसे साफ करने और कर्मकार के समान रीति में आग को किनारे करने में सक्षम है ;

(ii) यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि किस प्रकार परिहार्य धुँए को रोका जा सकेगा ;

(iii) जलप्रमापी कांच और जांच टॉटी को फूंक माध्यम से और शुद्धता की जांच में ;

(iv) किसी माप कांच को बदलना और मिथ्या जल स्तर को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है को प्रदर्शित करने में सक्षम होना ;

(v) किसी सुरक्षा वाल्व को ढीला करना और किसी नीचे बहाव टॉटी या वाल्व का बहाव करने में उपयोग करना ;

(vi) किसी उच्च वाष्प और निम्न जल सुरक्षा वाल्व को समायोजित करने और किसी गलनीय डाट को बदलना ;

(vii) पंप को लगाने या वाल्व पेटी ग्रंथी को भरना ;

(viii) टॉटी को वाल्वों को घिसने और उनको समायोजित करना ;

(ix) भरण पंप या हिस्से को भरने और उनको कार्य करने के दौरान बदलना ; और

(x) इकोनोमाइजर को साफ रखने के लिए दिए गए उपकरणों का उपयोग करना ।

34. प्रथम श्रेणी बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण,-

किसी अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए अर्हत होने के क्रम में परीक्षक का यह समाधान करना होगा कि द्वितीय श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए विनिर्दिष्ट विषयों के साथ-साथ वह दहन ऊष्मा और वाष्प से संबंधित प्रमुख प्रारंभिक तथ्यों का कम से कम प्राथमिक ज्ञान रखता है : और वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों को स्पष्ट करने में सक्षम होगा -

(क) वाष्प बायलर उच्च उष्मक और इकोनोमाइजर के कार्यकरण और प्रबंध रखना ;

(ख) विभिन्न वाल्वों, टॉटी लगाई गई फिटिंग्स और अन्य लगाई गई फिटिंग और अन्य सुरक्षा युक्तियों का उपयोग और उनका प्रयोजन करना ;

(ग) भरक पंप भरक अंतःक्षेपित्र भरक विनियामक भरक जल निस्संदक भरक तापक, वायु तापक उष्मक वाष्प संचायक प्रणोदित वात प्रवाह, प्रेरित वात प्रवाह और स्वचालित वात प्रवाह नियंत्रक युक्तियों के विवरणों और उनके कृत्यों को करना ;

(घ) दहन, ऊष्मा और वाष्प तथा किसी भूमि बायलर में कोयला और पानी तथा वाष्प का परिणाम के खपत की गणना करना के विभिन्न वात प्रवाह के अधीन ऊष्मित सतह के दिए गए जालिका क्षेत्र से उत्पन्न हो सकेगा और बायलर प्लांट की संपूर्ण सक्षमता का परिकलन करने से संबंधित तथ्यों पर प्रश्नों के उत्तर देगा ;

(ङ) धुँए को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य साधित्रों की सार्थकता को और वो सिद्धांत जिसपर वह कार्य करते हैं तथा मुख्य यांत्रिक स्टोकर, प्रेषणी, गैस और चुर्नित इंधन प्रणाली में उपयोग का वर्णन करने में सक्षम होंगे ;

- (च) आवधिक सफाई की आवश्यकता को पपड़ी या उष्णित सतह के अन्य जमाव को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां तथा भरक जल में कतिपय पीएच मान को बनाए रखने के लिए आवश्यकताएं ;
- (छ) बायलर में त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने के साधन और पद्धतियों को वर्णित करना ;
- (ज) किसी बायलर को प्रारंभ करने के लिए लिए जाने वाले पूर्ववधानियां और ठंड से या आग के ढेर की दशा में से इकोमोनाइजर को प्रारंभ करने की पूर्ववधानियां को करना ;
- (झ) जब बायलर में वाष्प है में किसी इकोमोनाइजर को कमीशन से बाहर रखने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया को करना ;
- (ञ) इंधन मितव्ययता को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और किसी बायलर हाउस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के उपयोग करना ;
- (ट) संक्षारण परपटी भवन के मुख्य कारण और उनका प्रभाव और उपनाए जाने वाले सामान्य उपचार ;
- (ठ) जल मृदुकार के उपयोग का उद्देश्य ;
- (ड) सिद्धांत जिसपर भरक पंप और अंतःक्षेपित्र कार्य करते हैं ;
- (ढ) सिद्धांत जिसपर धुएं को रोकने के लिए साधित्र कार्य करते हैं ; और
- (ण) उच्च तापक इकोमोनाइजर भरक तापक भरक निस्संदक, सशक्त और प्रेरित वात प्रवाह उपस्करों और यांत्रिक कोयला भरक का प्रयोजन ;

अध्याय 9

परीक्षा का ढंग

35. परीक्षा की प्रकृति,-

किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा की प्रकृति ऐसी होगी कि वाष्प उत्पन्न करने वाले बायलरों के प्रभारी होने में अभ्यर्थी की व्यवहारिक सक्षमता और तकनीकी ज्ञान की जांच को सक्षम होगा ।

36. परीक्षा के लिए विषय,-

परीक्षा निम्नलिखित शीति में आयोजित होगी :-

- (क) बायलर व्यवहार से संबंधित प्रश्नोत्तर के मौखिक परीक्षा ; और
- (ख) परीक्षक द्वारा यदि अपेक्षित हो तो परीक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना या किसी बायलर हाउस में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को निष्पादन की उसकी सक्षमता प्रदर्शित करना ।

37. परीक्षा के लिए फीस,-

(1) किसी अभ्यर्थी को सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय करना होगा :-

- (क) प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा : रुपए 500/- (पांच सौ रुपए केवल) ;
- (ख) द्वितीय वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा : रुपए 300/- (तीन सौ रुपए केवल) ;

(2) फीस खजाना चालान या ऐसे अन्य ढंग से जो इस निमित्त सरकार अधिसूचित करे, द्वारा संदत्त होगी ।

38. फीस का प्रतिदाय,-

कोई अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में एक बार प्रवेश कर लेने पर फीस के किसी प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा । जब कोई अभ्यर्थी नियत तिथि को परीक्षा में अपरिवर्जनीय अनुपस्थित रहता है अध्यक्ष अगली परीक्षा में दूसरी फीस के संदाय के बिना उसे उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

39. अपात्र पाए गए अभ्यर्थी की फीस,-

कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा फीस का संदाय कर देता है किन्तु किसी परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है उक्त फीस संपहरण कर ली जाएगी।

अध्याय 10**प्रमाणपत्र प्रदान करना****40. सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान करना,-**

यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करता है उसका परिणाम राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचित होता है और उसे ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथासंभवशीघ्र सक्षमता के प्रमाणपत्र प्रदान होगा।

41. प्रमाणपत्र का प्ररूप,-

किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र यथास्थिति, प्ररूप 'ख' या प्ररूप 'ग' में होगा।

42. किसी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन,-

किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा जारी प्रमाणपत्र की विधिमाम्यता के लिए प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में करना होगा।

43. पहचान की अपेक्षाएं,-

इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र पर नियम 26 के अधीन उसके आवेदन के साथ पूर्व में जमा किए गए धारक के वक्ष तक का चित्र होगा और उसके हस्ताक्षर और ऐसे अन्य विवरण जो पहचान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, होंगे।

44. प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करना,-

(1) जब किसी प्रमाणपत्र का धारक अध्यक्ष को समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदान किया गया प्रमाणपत्र खो, चोरी या नष्ट या विकृत हो गया है उसे 200/- रूपए (दो सौ रूपए केवल) की फीस के संदाय पर प्रदान होगा, उपर्युक्त को ऐसे अभिलिखित करते हुए जिसे प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी की गई है वह उसका हकदार प्रतीत होता है, उसकी सभी प्रयोजनों के लिए मूल प्रमाणपत्र के समान विधिमाम्यता होगी। फीस खजाना चालान द्वारा या ऐसे अन्य ढंग से जो इस निमित्त सरकार अधिसूचित करे द्वारा संदत्त होगी।

(2) यदि जांच में सचिव का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कथन मिथ्या है वह उक्त बोर्ड के अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और बोर्ड का यह विवेक होगा कि वह प्रमाणपत्र या तत्काल उपर्युक्त द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने की अनुज्ञा या बोर्ड बारह मास से अनधिक ऐसी अवधि के पश्चात् प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की बाबत उचित समझे निरस्त कर सकेगा।

45. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन,-

किसी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस घोषणा के साथ होगा कि इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र खो गया है, के साथ अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होगा।

46. मूल प्रमाणपत्र की अविधिमाम्यता,-

किसी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के जारी होने पर मूल प्रमाणपत्र की विधिमाम्यता प्रवर्तित हो जाएगी और यदि धारक के कब्जे में है तो वह अध्यक्ष के कार्यालय को निरस्त करने के लिए वापस करेगा।

47. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख,-

इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सभी प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलिखित होगी।

अध्याय 11

जांच

48. प्रमाणपत्र धारक की बाबत जांच,-

यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को चाहे किसी भी कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन सक्षमता के प्रमाणपत्र धारक किसी बायलर परिचर के भाग पर असक्षमता, मद्यता या कदाचार या उपेक्षा का अभिकथन किया गया है कि जांच या तो स्वयं ऐसी जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकेगा, और -

(क) जांच का विषय ऐसे प्ररूप में संचालित होगी कि व्यक्ति की उपस्थिति में कार्रवाइयां संचालित होंगी और उसे कोई कथन करने का जिसे वह करना चाहे और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देना चाहे का अवसर दिया जाएगा ;

(ख) किसी ऐसी जांच की कार्रवाइयों के साथ जांच का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा उनपर अपने निष्कर्ष बोर्ड को विनिश्चय के लिए उक्त अधिकारी द्वारा भेजे जाएंगे ।

49. प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण,-

जब नियम 48 के अधीन कोई जांच संचालित की जाती है ऐसे प्रमाणपत्र का धारक जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा मांग पर अपने प्रमाणपत्र को ऐसी जांच के परिणाम के लंबित होने तक उक्त अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित करेगा ।

50. बोर्ड का विनिश्चय,-

(1) नियम 48 के अधीन संचालित किसी जांच की कार्रवाइयों के साथ उन पर निष्कर्ष की प्राप्ति पर, बोर्ड प्रमाणपत्र को बनाए रखने या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने के लिए जो वह उचित समझे या प्रमाणपत्र को स्थायी रूप से रद्द कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर देगा ।

(3) बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप - 'क'

(नियम 26 और 42 देखें)

बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

भाग 1 - आवेदक का नाम आदि

1. नाम (पूरा नाम)

2. पिता का नाम

3. राष्ट्रीयता

4. जन्म तिथि

5. जन्म का स्थान

6. स्थायी पता

7. क्या पूर्व में किसी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है

8. यदि हां, तो उसके स्थान और तारीख का ब्यौरा

फोटोचित्र

भाग 2 : प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणपत्रों की विशिष्टियाँ

प्रमाणपत्र की संख्या	प्रमाणपत्र का वर्ग	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख	यदि किसी समय निलंबित या रद्द हुआ है और यदि हाँ तो किसके द्वारा	निलंबन या रद्द करने की तारीख	निलंबन या रद्दकरण के कारण
1	2	3	4	5	6	7

भाग 3 : शंसापत्रों की सूची और सेवा की विवरणी
(नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नंबरों के तत्स्थानी क्रम संख्याओं में शंसापत्रों को संख्यांक दें)

शंसापत्रों का क्रम सं.	शंसापत्रों की तारीख	शंसापत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	कारखाने या वर्कशाप जहाँ वह नियोजित है का पता और पदनाम	कार्यरत बायलरों की सं., प्रकार और उचित सतह	क्षमता जहाँ वह नियोजित है	अवेदक की सेवा		अवधि जिसके लिए वह नियोजित था			सत्यापक के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
						प्रारंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	वर्ष	मास	दिन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कुल सेवा ।

सेवा की अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं ।

सेवा की अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

भाग 4 - आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में किया गया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में कथन सही और सत्य है ; और भाग 2 में संख्यांकित कागजपत्र तथा इस प्ररूप के साथ जमा दस्तावेज सत्य और वास्तविक है और यह कि इस प्ररूप के साथ भेजे गए दस्तावेजों की प्रतियां सत्य और सही हैं । मैं यह और घोषणा करता हूँ कि भाग 3 में किया गया कथन बिना अपवाद के मेरी सेवा की कुल अवधि के विवरण सत्य और सही है तथा मैं यह घोषणा शुद्ध अंतःकरण से यह विश्वास करने का कारण कि वह सही हैं ।

20 के मास के दिन को

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

टिप्पण :- 1 - प्रत्येक आवेदन के साथ सरकार द्वारा विहित रूप में जो अपेक्षित फीस निश्चित रूप से संलग्न होगी ।

2. आवेदक के नवीनतम वक्ष तक के दो फोटोचित्र (आकार पचास मिलीमीटर x पैंसठ मिलीमीटर) आवेदन के साथ होंगे जिसके पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर पूर्ण जो सम्यक रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सत्यापित होंगे ।

3. कोई व्यक्ति परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या कथन करता है वह अभियोजन का दायी होगा ।

4. अपूर्ण आवेदन निरस्त होने के दायी होंगे ।

भाग 5

(आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रथम वर्ग/द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के लिए परीक्षित किए गए और उन्होंने दौरान आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुए ।

प्रथम वर्ग /द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को जारी होगा जब पास होना प्रमाणित है ।

प्रमाणपत्र सं. जारी होने की तारीख और दूसरी प्रति अभिलिखित की गई ।

(सचिव)

परीक्षक बोर्ड

प्ररूप ख

(नियम 41 देखें)

(सक्षमता का प्रथम वर्ग बायलर परिचर प्रमाणपत्र)

(बायलर परिचर नियम, 2011 को नियम 41 के अधीन प्रदत्त)

..... का सं.....

श्री..... उम्र लगभग वर्तमान निवासी
..... प्रथम वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूर्ण करने की सक्षमता का परीक्षक बोर्ड का समाधान हो गया है बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन प्रथम वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के इस प्रमाणपत्र के द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी प्रकार के वाष्प नली के साथ एकल बायलर या क्षमता या किसी श्रृंखला में या पृथक वाष्प नलिकाओं के साथ दो या अधिक बायलरों जिनका कुल उष्मित सतह 1000 वर्ग मीटर से अनधिक नहीं है परंतु ऐसे बायलर उसी परिसर में तीस मीटर के व्यास में अवस्थित हैं और एक ही स्वामी के हैं प्रदान किया जाता है।

20..... के मास के.....दिन..... को

सचिव

परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष

परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

सूची का विवरण

1. जन्म तिथि और स्थान.....
2. स्थायी पता
3. राष्ट्रीयता
4. लंबाई (बिना जूते के).....
5. पहचान के चिन्ह
6. दाएं हाथ का अंगूठा निशान

आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन

प्ररूप ग

(नियम 41 देखें)

(सक्षमता का द्वितीय वर्ग बायलर परिचर प्रमाणपत्र)

(बायलर परिचर नियम, 2011 को नियम 41 के अधीन प्रदत्त)

..... का सं.....

श्री..... उम्र लगभग वर्तमान निवासी
 द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूर्ण करने की सक्षमता का परीक्षक बोर्ड का समाधान हो गया है
 बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के इस प्रमाणपत्र के द्वारा उसे
 प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी प्रकार के वाष्प नली के साथ एकल बायलर जिसका कुल उष्मित सतह 200
 वर्ग मीटर से अनधिक नहीं है। वह तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन संबद्ध बायलर से अधिक न हों
 (जिसका कुल उष्मित क्षेत्र 150 वर्गमीटर से अनधिक न हो उसे ऐसी संख्या में फायरमैन द्वारा सहायता प्राप्त है जो
 मुख्य निरीक्षक बायलर द्वारा आवश्यक समझी जाए)।

20..... के भास के.....दिन..... को

सचिव

परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष

परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

सूची का विवरण

1. जन्म तिथि और स्थान.....
2. स्थायी पता :.....
3. राष्ट्रीयता
4. लंबाई (बिना जूते के).....
5. पहचान के चिन्ह
6. दाएं हाथ का अंगूठा निशान

आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन.....

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव